रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 216] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 15, 1973/भाद्र 24, 1895

No. 216] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBR 15, 1973/BHADRA 24, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September 1973

No. RS.1/4/73-L.—The following order by the President, dated the 13th September, 1973, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Monday, 12th November, 1973, at New Delhi.

V. V. GIRI,
PRESIDENT."

The 13th September, 1973.

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1973

सं० आर० एस० 1/4/73—एल.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश दिनांक 13 सितम्बर, 1973, आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा राज्य सभा को सोमवार, 12 नवम्बर, 1973 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमन्त्रित करता हूं ।

वी० वी० गिरि,

राष्ट्रपति ।"

13 सितम्बर, 1973

बी० एन० बनर्जी, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973